

1-13:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है—

1- अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2- अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3- अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नॉन-क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा)।

नोट— महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा—

(1)	महिलाएँ	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियोंके आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)।